

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 2-95/2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत  
जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

| तिथि    | आदेश फलक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अभ्युक्ति |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.11.22 | <p><b>Covid-19</b> के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कारवाई पुनः शुरू करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>8.12.2022</u> को उपस्थापित करें।</p> <p align="right"> <br/> अंचल अधिकारी,<br/>छत्तरपुर। </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 8.12.22 | <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म <del>जंगल</del> <u>जंगल</u>) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:-</p> <p>मौजा <u>कैरकी खुर्द</u> थाना नं० <u>296</u> खाता सं० <u>25</u> प्लॉट सं० <u>533, 98</u><br/> रकबा <u>2.00, 095</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>जंगल</u><br/> अनावाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>14</u> के पृष्ठ सं० <u>66</u> पर जमाबंदी रैयत <u>बलरमुली</u><br/> <u>भुइया पिता-रुक्मिणी</u> नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं</p> |           |

उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
छत्तरपुर।

24.12.22

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में झारखण्ड भूमि सुधार कमीटी के द्वारा दिये गये पंचरि एन - 183262 के निर्दिष्ट वर्ष 2010-11 समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
छत्तरपुर।

7.1.23

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा कुंकी खुर्द मौजा नं० 296 खाता सं०-25 प्लॉट सं०-533, 28, रकबा 200,075 किस्म गैरमजरूआ पतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का दोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि उक्त प्लॉट का किस्म गैरमजरूआ दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार बरचुली सुइया पिता नकु सुइया के नाम से पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 66/111 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 66/111 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
अंचल अधिकारी,  
छत्तरपुर।

  
अंचल अधिकारी,  
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला  
चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामू एवं हजारीपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

| जमाबंदीदार का नाम  | मौजा         | थाना<br>नं. | खाता<br>नं. | खेसरा<br>नं. | रकबा | खतियानी<br>प्रविष्टि | किस्म जमी    |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------|----------------------|--------------|
| मरचुली सुर्जी      | केरकी सुर्जी | 296         | 25          | 533.98       | 2.00 | खेसरा                | जंगल झाड़ी   |
| पिता - 1 कु सुर्जी |              |             |             | 447          | 0.75 | मालिक                | खतियानी कृषि |

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- जंगल झाड़ी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी II में मौजा काजम का आधार नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :- पंजी II में आधार नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिवंधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :- N/A

अवैध जमाबंदी की जाँच किसा राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वापिस रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित यंदोयस्ती पंजी से

(ग) वापिस-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

अंचल कार्यालय में भेजे  
पंजी II एवं रसीदों से

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :-

नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत  
जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद :-

नहीं

तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध

नहीं

जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

प्रतिवेदन मुझे भेजा करके मुझे के खाता 25 जूला 533, 98, 447 खाता 275 खाता भूमी भोग पंजी II के 66/II पट वाच्युली मुर्झा पिला नकु मुर्झा के नाम से दर्ज है, भोग पंजी में भोग कामरा का आंश 50% दर्ज नहीं है, भोगधारी का आंश 50% मुर्झा खाता भूमी के पत्र 5 के पत्र 50% 183262/8438 के अंतर्गत है, अतः मुझे LRDC/500 द्वारा नया निर्धारण का संकेत पत्र X के द्वारा नहीं किया जाता है, भोग धारी का अतः मुझे पट दर्ज करना स्पष्ट नहीं है अतः मुझे जैमलबन्दा खाते की है तथा मुझे का फिल्ड पंजी दर्ज है अतः उपरोक्त भोग अवैध प्रतिवेदन होता है अतः कारवाई हेतु समर्पित

जि. 28/1

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उप-निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, नहीं पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को खूद करने की अनुशंसा किया जा सकता है।

जि. 28/1

अंचल अधिकारी,

छत्तरपुर।

भूमि-सुधार उप समाहर्ता,  
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,  
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,  
पलामू।

उपायुक्त,  
पलामू।

# संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- वरचूनी भुर्जा पिता नकु भुर्जा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या III पृष्ठ सं: 66 पर कायम है।

| मौजा        | धाना नं. | खाता सं. | खेसरा सं. | रकबा |
|-------------|----------|----------|-----------|------|
| केरकी सुर्द | 296      | 25       | 533.98    | 2.00 |
|             |          |          | 447       | 0.75 |

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पेन्ती II में आइल फॉर नदी है
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जैरमलका भागिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- कोई भी सक्षम पदाधिकारी का आदेश नहीं है
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- पेन्ती II में आइल फॉर नदी है

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- पेन्ती II में फॉर नदी है
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) :-

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

| क्र. सं. | लगान रसीद सं. | रसीद निर्गत तिथि | वसूली वर्ष |
|----------|---------------|------------------|------------|
| 1        | 4340349       | 20/6/2010        | 10-11      |
|          |               |                  |            |
|          |               |                  |            |

**महानगरपालिका, अंचल अधिकारी, छतरपुर (पलामू)।**

आदेश अभिलेख सं० 295 / 2016-1 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम परचुली मुईयां

पिता - मकु मुईयां

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा केरी मुईयां थाना नं०.....  
खसता सं० 25 खेसरा नं०..... रकबा 175 से संबंधित आपके नाम से  
हो नं० 1 के पंजी-II भाग 14 के पृष्ठ 64 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम  
दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त सांदिग्ध  
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे  
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व  
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल  
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ  
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको  
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर  
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा  
कर दी जायेगी।

उर्मिलवती

इसे सख्त ताकिद जामे



अंचल अधिकारी,  
छतरपुर।

9150131147